न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः–287/2016
निर्णय दिनांकः– 19.12.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. गोपाल पुत्र ओकार जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी हाल जिला दूदू (मृतक)।
1/1. सुरेश दत्तक पुत्र स्व0 गोपाल जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी हाल जिला दूदू।

वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र बिरधा
2. मूलचन्द पुत्र बिरधा
3. भगवान सहाय पुत्र बिरधा
समस्त जातियान बारागांव निवासीयान फागी तहसील फागी हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री सीताराम सैनी अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री सुनील कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थी
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908
निर्णय दिनांकः– 19.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम – 11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम फागी उत्तर व फागी पश्चिम तहसील फागी मे स्थित आराजी के ख0न0 1521, 1555, 1638, 1712, 1713, 1714, 1937, 2143, 2144, 2704, 2741, 3744 कुल किता 13 कुल रकबा 33 बीघा भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी व ख0न0 835, 836, 847, 850/2, 853/2, 901, 928, 5335 कुल किता 08 कुल रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी में स्थित आराज़ी जिसमे वादी 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर वादी मौके पर तारबन्दी कर रखी है एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष का निवेदन किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया जाकर बताया की प्रतिवादी सं0 1 ने मृतक गोपाल से छलकपट पुर्वक धोखे से हकत्याग करवाया है जिसको मृतक गोपाल ने अपने जीवनकाल मे ही प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में हकत्याग निरस्त करने का दावा प्रस्तुत किया है। मृतक गोपाल का विधिक वारिस गोद पुत्र सुरेश है जो कानूनन विधिक वारिस की हैसियत से

लगातार.....2

19/12/24 Rakesh

उक्त आराजी का विरासत के अधिकार से एकमात्र मालिक है। उक्त हकत्याग निरस्त करने के वाद उच्चतर सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे वाद/अपील विचाराधीन है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीया खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया।

क्र.स	प्रतिवादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र/ बहस के अभिकथंन
1.	वादी द्वारा दिनांक 10.06.2015 को प्रतिवादीगण/प्रार्थी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 188 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
2.	वादी/अप्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने सें पूर्व ही विवादग्रस्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 09.07.2013 को प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थी के पक्ष मे कर चूका है।
3.	सिविल न्यायालय द्वारा हकत्याग खारिज फरमाये जाने बाबत वाद को खारिज कर दिया गया है।
4.	सुरेश उक्त वाद मे गोद पुत्र बनकर आया है तथा उक्त आराजी मे खातेदार नही है।
5.	वादी/अप्रार्थी का द्वारा प्रस्तुत वाद वार्ड बाय लॉ होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वादीया द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

क्र. स	वादीया/अप्रार्थीया का जबाब व बहस मे प्रत्युत्तर के अभिकथंन
1.	वादी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 09.07.2013 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे किया गया हकत्याग Contert है।
2.	माननीय उच्च न्यायालय मे उक्त हकत्याग बाबत अपील विचाराधीन है।
3.	प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा यह नही बताया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद किस तरह बार्ड बाय लॉ है।
4.	ग्राम पचांयत मैन्दवास को सिजरा प्रमाण पत्र पेश है जिसमे वादीया को कैलाश की पुत्री माना है।
5.	अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा सिविल प्रकिया संहिता अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश –7 नियम –11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam** प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से शिवरंजनी बनाम दलीपसिंह 2023/370 निर्णय दिनांकः–09.09.2024 से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:–

1. जहॉ वाद का हेतुक प्रकट नहीं होता है।

लगातार.....3

2. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैं
4. जहॉ वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहॉ वाद पत्र दो प्रतियों में फाइल नही किया जाता है।
6. जहॉ वादी नियम 9 के उपबन्धों की अनुपालना करने मे असफल रहता है।

Object

7. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहा प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश –7 नियम –11 के उद्देश्य **(Object)** के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान **Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali** में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश – 7 नियम – 11 के उद्देश्य **(Object)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा काउद्धरण इस प्रकार हैः–

> आदेश 7 नियम 11 (ए) का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि यदि ए में मुकदमा, कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है, या मुकदमा वर्जित है नियम 11 (डी) के तहत सीमा, न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देगा वादी द्वारा मुकदमे की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचना। ऐसे में इसे ख़त्म करना ज़रूरी होगा दिखावटी मुकदमेबाजी, ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो।

8. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान **Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi** में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता – 1908 के आदेश –7 नियम –11 के उद्देश्य **(Object)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ऐसी शक्तियां प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो निरर्थक है और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे अदालत के समय पर कब्जा करने और प्रतिवादी के दिमाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डेमोकले की तलवार को बिना मतलब या उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाए रखने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि एक सामान्य सिविल मुकदमे में भी न्यायालय किसी वाद को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग तुरंत करता है यदि इसमें कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया हो। या संबंधित पक्ष को दलीलों के अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या परेशान करने वाले हिस्सों को हटाने का निर्देश देने की शक्ति। या ऐसी दलीलें जिनसे शर्मिंदगी होने की संभावना हो या कार्रवाई की निष्पक्ष सुनवाई में देरी हो या जो अन्यथा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। किसी पक्ष को दलील के एक हिस्से को हटाने का निर्देश देने वाले आदेश के परिणामस्वरूप उक्त दलील के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला मामला समाप्त हो जाएगा। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय मामले की जड़

लगातार.....4

तक जाने वाले किसी भी बिंदु, जैसे कि अधिकार क्षेत्र या रखरखाव से संबंधित, को प्रारंभिक बिंदु के रूप में गान सकते हैं और साक्ष्य दर्ज करने और विस्तृत सुनवाई के बिना किसी मुकदमे को खारिज कर सकते हैं। ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में तर्क, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आपत्ति के प्रारंभिक बिंदु के गुणों को देखते हुए कार्रवाई समाप्त हो जाएगी।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान **Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner** में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश –7 नियम–11 के उद्देश्य **(Object)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> संहिता के आदेश 7 नियम 11 का वास्तविक उद्देश्य गैर–जिम्मेदाराना कानूनी मुकदमों को अदालतों से बाहर रखना है। इसलिए, संहिता का आदेश 10 न्यायालयों के हाथ में एक उपकरण है जिसका सहारा लेकर और यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मानता है कि मुकदमा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है तो पक्ष की जांच करके। इस अर्थ में कि यह एक फर्जी और गैर–जिम्मेदाराना मुकदमा है, आदेश 7 नियम के तहत क्षेत्राधिकार संहिता के 11 का प्रयोग किया जा सकता है।

Nature of Power

10. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति **(Nature of Power)**के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहांप्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान **Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali** में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति **(Nature of Power)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> आदेश 7 नियम 11 के तहत उपाय एक स्वतंत्र और है विशेष उपाय, जिसमें न्यायालय को अधिकार है बिना किसी मुकदमे को दहलीज पर सरसरी तौर पर खारिज करें सबूत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना और पेश किए गए सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाना, अगर वह संतुष्ट है कि इस प्रावधान में शामिल किसी भी आधार पर कार्रवाई समाप्त कर दी जानी चाहिए।

Stage

11. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अनुप्रयोग हेतु चरण **(Stage)** के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8518/2002 उनवान **Saleem Bhai And Ors vs State Of Maharashtra And Ors** में दिनांक 17.12.2002 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया स हिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अनुप्रयोग हेतु चरण **(Stage)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि किसी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे वादपत्र में दिए गए कथन हैं। ट्रायल कोर्ट आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मुकदमे के किसी भी चरण में–वादपत्र दर्ज करने से पहले या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को

लगातार.....5

समन जारी करने के बाद। आदेश 7 सी.पी.सी. के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए। वादपत्र में दिए गए कथन वास्तविक हैं; प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में की गई दलीलें उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी, इसलिए आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पर निर्णय किए बिना लिखित बयान दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग को छूने वाली प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं हो सकती।

How to read and examine the plaint

12. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण **(How to read and examine the plaint)** के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान **Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji** शिवरंजनी बनाम दलीपसिंह 2023/370 निर्णय दिनांकः 09.09.2024 **Bhanusali** में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण **(How to read and examine the plaint)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> यदि वादपत्र को सार्थक रूप से पढ़ने पर यह पाया जाता है कि मुकदमा स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और बिना किसी योग्यता के है, और मुकदमा करने के अधिकार का खुलासा नहीं करता है, तो अदालत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित होगी। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है, या तो वाद दर्ज करने से पहले, या प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद, या मुकदमे के समापन से पहले, जैसा कि उपरोक्त न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य का निर्णय।

13. सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक हैं। वादी द्वारा इस संबंध में अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादी का वाद जिस प्रावधान के द्वारा वर्जित बताया गया है, उसका वर्णन/अंकन नही किया गया है। वादीया का वाद पूर्णतया विधि के अनुरूप है।

Barred by Law

14. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान **M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu** में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित **(Barred by Law)** के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> आदेश 7 नियम 11(डी) का अनुप्रयोग सीमित है। इसकी प्रयोज्यता के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि वर्तमान मुकदमा कानून के तहत वर्जित है। ऐसा निष्कर्ष वादपत्र में दिए गए कथनों से निकाला जाना चाहिए। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 को लागू करने के लिए जो प्रासंगिक होगा वह वादी के द्वारा दिए गए कथन हैं और उस उद्देश्य के लिए, कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। उक्त प्रावधान को लागू

लगातार.....6

करने के उद्देश्य से किसी भी साक्ष्य पर गौर नहीं किया जा सकता है।

15. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत दावा के विधि द्वारा वर्जित बिन्दु पर उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों के अवलोकन से यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि मुकदमा, कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है, या मुकदमा वर्जित है नियम 11 (डी) के तहत सीमा, न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देगा वादी द्वारा मुकदमे की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचना। ऐसे में इसे ख़त्म करना ज़रूरी होगा दिखावटी मुकदमेबाजी, ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 मे अंकित किया है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 09.07.2013 को प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष पंजीबद्व करवाकर अपने खातेदारी अधिकार प्रार्थी को हस्तारित विधिवत कर दिया है। जबकि वादी/अप्रार्थी ने सुरेश ने बताया है कि मृतक गोपाल द्वारा दिनांक 09.12.2014 को गोद लेना बताया है। जबकि उक्त आराजी का हकत्याग पूर्व मे ही प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष मे गोपाल द्वारा कर दिया गया था। "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (7) मे वर्णित किया गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी आराजी का विक्रय कर दे या उसे हकत्याग, दान दे दे तो उस की समस्त शाक्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत स्वतः ही समस्त शाक्तियॉ केता, हकत्याग– पत्र, दान–पत्र प्राप्तकर्ता मे स्वतः ही समायोजित हो जाती है। वादी ने अपने जबाब मे कथंन किया उक्त गोदनामा को निरस्त किये जाने बाबत वाद/अपील विचाराधीन है। वादी द्वारा अन्य कोई ऐसा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है। जिससे से साबित हो की उक्त हकत्याग पत्र को निरस्त किये जाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय मे वाद दायर किया गया व किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त हकत्याग पत्र दिनांक 09.07.2013 को निरस्त किया गया है। उक्त हस्तगत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित होने की श्रेणी में आता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के विधि द्वारा वर्जित है।

16. अब हस्तगत प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–ए के तहत वाद कारण उत्पन्न नही होने के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक हैं। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा बहस मे कथन है कि उक्त आराजी का प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे जरिये हकत्याग पत्र दिनांक 09.07.2013 को गोपाल द्वारा पंजीबद्व करवा दिया गया था। जिससे गोपाल की समस्त शाक्तियों का अधिकारी प्रतिवादी सं0 1 मे समायोजित हो गई है। वादी द्वारा वाद पत्र में वादकारण स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार बिना वाद कारण के वाद पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः इस प्रकार बिना वाद कारण के वाद पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।

17. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र को नामाजूंर करने की जो शर्ते दी गयी है वहां मुख्य रूप से जहॉ वाद कारण प्रकट नही किया गया हो अथवा वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो ऐसे वाद को वाद पत्र के अवलोकन किये जाने के पश्चात खारिज कर दिया जाना चाहिए। उक्त विवादग्रस्त आराजी का वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष मे रजिस्टर्ड हकत्याग कर दिये जाने के पश्चात वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होना प्रतीत होता है। वादी अपने वाद को सिद्व करने मे भी सफल नही है कि वादी द्वारा दिनांक 09.07.2013 को किये गये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त करवाया गया है। प्रकरण में उक्त आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–डी के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित होने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। साथ ही उक्त विश्लेषण अनुसार दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए के तहत दावे में

लगातार.....7

वादकारण स्पष्ट अंकित नहीं होने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, एवं न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन पश्चात उक्त वाद सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज –डी विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रकिया संहिता–1908 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) होने के कारण खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/12/24

(सकेश कुमार जी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. गोपाल पुत्र ओकार जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी हाल जिला दूदू (मृतक)।
   1/1. सुरेश दत्तक पुत्र स्व0 गोपाल जाति बारागांव निवासी फागी तहसील फागी हाल जिला दूदू।

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र बिरधा
2. मूलचन्द पुत्र बिरधा
3. भगवान सहाय पुत्र बिरधा

   समस्त जातियान बारागांव निवासीयान फागी तहसील फागी हाल जिला दूदू।

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 287/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी/अप्रार्थी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण श्री सुनिल कुमार जोशी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है प्रार्थी/प्रतिवादी **सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रकिया संहिता–1908 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) होने के कारण खारिज किया जाता है।**

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/12/2024 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

19/12/24.

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू